4– भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) द्वारा एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से "भारत फाईबर" नामक उच्च गति ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन्स उपलब्ध कराने हेतु चैनल पार्टनर को सूचीबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इस योजना के माध्यम से चैनल पार्टनर को रु 30,000/– का लाभ अर्जित होगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं को भी रोजगार प्राप्त होगा। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से उनके विद्युत खम्भों का प्रथम एक से दो वर्षों तक निःशुल्क उपयोग करने हेतु अनुरोध किया गया।

5– राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड अभियान की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, जल निगम, ऊर्जा विभाग/मेट्रो तथा दूरसंचार कम्पनियों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाये जाने का प्रस्ताव किया गया।

6– ऐसे क्षेत्रों में जहां पर सभी हाउस–होल्ड्स/आवासों में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैण्ड सेवायें (हर घर फाइबर) दी जा सकती हैं, तथा नगरीय क्षेत्रों में (जहां के लोग शैक्षिक और आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं) 1000 क्षेत्रों/स्थानों की पहचान "डिजिटल इकोनॉमी हॉटस्पाट्स के रूप में चिन्हित किए जाने और कनेक्शन दिये जाने का भी प्रस्ताव किया गया। शासन की ओर से इस हेतु दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को समस्त सहयोग दिये जाने के लिए सहमति दी गई।

7– शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनवाणी केन्द्रों, पुलिस थानों, अग्निशमन केन्द्रों, शासकीय कार्यालयों एवं राज्य सरकार के अन्य सस्थाओं को भारत नेट के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबिल्स से कनेक्टिविटी का भी प्रस्ताव किया गया। इन संस्थाओं हेतु सीएससी एसपीवी/टीएसपी के माध्यम से दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए शासन की सहमति इंगित की गई। भारत नेट के बारे में जब और जैसी आवश्यकता होगी बीबीएनएल द्वारा सरकार के साथ सूचना साझा की जाएगी।

8– ब्रॉडबैण्ड रेडीनेस इन्डेक्स (BRI) से सम्बन्धित 35 बिन्दुओं पर राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने के विषय में निर्देश दिये गये कि बी.आर.आई. के बिन्दुओं से सम्बन्धित आंकड़े जो राज्य सरकार के स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें दूरसंचार विभाग अपने स्तर पर प्राप्त करने का प्रयास करें। जो आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये जा सकते हैं उनके बारे में लिखित रूप से सूचित कर दिया जाये।

9– राज्य सरकार द्वारा विकसित राइट ऑफ वे (RoW) पोर्टल पर लम्बित आवेदनों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई तथा निम्नलिखित निर्देश दिये गये:–

I. राइट ऑफ वे पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु सभी जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव की ओर से पत्र प्रेषित किये जायें।
II. राइट ऑफ वे पोर्टल के उपयुक्त अनुश्रवण हेतु उसे निवेश–मित्र पोर्टल से जोड़ने का कार्य किया जाये।
III. राइट ऑफ वे पोर्टल पर शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये।
IV. राइट ऑफ वे पोर्टल पर आवेदनों का निस्तारण 45 दिन बाद 'डीम्ड एप्रूवल' की व्यवस्था के अन्तर्गत कराया जाये।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में "उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैण्ड कमेटी" (यू0पी0एस0बी0सी0) की दिनॉक 17 जुलाई 2020 को अपरान्ह 1:00 बजे लोक भवन प्रथम तल स्थित उनके सभाकक्ष में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति संलग्न है।

बैठक में प्रारम्भिक प्रस्तुतीकरण आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा किया गया, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन की व्यवस्था के विषय में परिचयात्मक जानकारी दी गई। मिशन के लक्ष्य, "ब्रॉडबैण्ड फॉर ऑल" को पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ–साथ सभी के लिए उच्च गति एवं उच्च विश्वसनीय ब्रॉडबैण्ड सम्पर्क की उपलब्धता तथा इस हेतु गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड अभियान के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् निर्धारित किये गये हैं:–

(i) अन्तरिक्ष विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर दूरदराज के क्षेत्रों में सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया जाना।
(ii) देश में ही नवाचार तकनीक को बढ़ावा देकर उद्योग स्थापित किया जाना।
(iii) राइट ऑफ वे की शीघ्र अनुमतियों हेतु सभी हितधारकों का साथ लेकर मॉडल विकसित किया जाना।
(iv) राज्य स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने तथा राइट ऑफ वे अनुमोदन पर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाने हेतु नीतियॉ बनाना
(v) ब्रॉडबैण्ड रेडीनेस इन्डेक्स (बी.आर.आई.) का विकास किया जाना जिससे डिजिटल संचार इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा अनुकूल नीतिगत ईकोसिस्टम राज्य में ही विकसित हो सकें।
(vi) इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन इत्यादि

2– राज्य स्तर पर "उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैण्ड कमेटी" (यू0पी0एस0बी0सी0) का गठन आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 683/78–1–2020–666/2020 दिनांक 20 जून 2020 द्वारा किया गया है तथा इस समिति की यह प्रथम बैठक है।

3– दूरसंचार विभाग (DoT), भारत सरकार द्वारा एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रदेश के समस्त गांवों/habitations का मास्टर डाटा 18 बिन्दुओं (**संलग्नक–1**) पर उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। बैठक में चर्चा के दौरान मास्टर डाटा की उपलब्धता की स्थिति के बारे में जानकारी की गई तथा निर्देशित किया गया कि नियोजन विभाग से जो भी डाटा उपलब्ध हो–प्राप्त कर लिया जाये तथा अन्य डाटा पंचायती राज विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग से भी प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जाएँ। राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड अभियान हेतु आवश्यक मास्टर डाटा बेस, जिसकी मांग दूर संचार विभाग, उ0प्र0 पूर्वी तथा उ0प्र0 पश्चिमी द्वारा राज्य सरकार से निरन्तर की जा रही है वह सभी आंकड़े/डाटा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं तथा समय–समय पर राज्य द्वारा इन संस्थाओं को भी उपलब्ध कराये जाते रहे हैं। अतः ये संस्थायें स्वयं इस डाटा को उद्धृत कर संकलित करें। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के पास जो भी डाटा उपलब्ध है वह तत्काल इन संस्थाओं को उपलब्ध करा दिया जाये। इस संबंध में नियोजन विभाग से भी समन्वय किया जाये।

संलग्नक - 1

Details about village

Sr. No.	State Code	State Name	District Code	District Name	Sub District Code	Sub District Name	Habitation/ Hamlet (Serial Number), if any	Habitation/ Hamlet Name	If habitation is a census village then census village Code	Latitude	Longitude	CD Block Code	CD Block Name	Gram Panchayat Code	Gram Panchayat Name	Number of Households	Total Population
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

V. यह भी निर्देश दिये गये कि राइट ऑफ वे पोर्टल के अतिरिक्त जो आवेदन 'ऑफ लाइन' पद्धति से प्रस्तुत किये गये हैं, आवेदनकर्ताओं द्वारा उन्हें भी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत कर दिया जाये, जिससे उनका निस्तारण भी समयबद्ध रूप से किया जा सके।

10– दूर संचार विभाग से अपेक्षा की गई कि भारत ब्रॉडबैण्ड मिशन तथा ब्रॉडबैण्ड रेडीनेस इन्डेक्स (BRI) से सम्बन्धित डाटा भारत सरकार के कार्यरत उपक्रमों से भी प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग करें।

11– उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैण्ड कमेटी के नामित संयोजक को निर्देश दिये गये कि;

I. उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैण्ड कमेटी की अगली बैठक के आयोजन से पूर्व सुसंगत एजेण्डा/आंकडों का सम्यक परीक्षण करा लिया जाये।

II. प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों की पंचायतवार वार्षिक कियान्वयन योजना बनाकर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये, जिसमें मासिक माइलस्टोन्स भी हो।

III. दूरसंचार विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड तथा भारत ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड के नामित अधिकारी सभी बिन्दुओं पर अद्यतन स्थिति लेकर आयें।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवँ इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1
संख्या–889/78–1–2020–666/2020
लखनऊः दिनॉकः 04 अगस्त 2020

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैण्ड कमेटी के समस्त सदस्यगण।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. वरिष्ठ उप महानिदेशक, दूर संचार विभाग, भारत सरकार, उ0प्र0 पूर्वी एल0एस0ए0 सी0टी0ओ0 परिसर, एमजी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, विशेष सचिव(आर0/एन0), आईटी एवं इले0 विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

क्र. सॅ.	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0 / ई–मेल आईडी	हस्ताक्षर
11	बाबूराम	प्रधान महाप्रबन्धक (CFA) कार्या॰ मु॰ म॰ प्र॰ BSNL	BSNL	9415100002	[signature]
12	साकेत कुमार वर्मा	उप महाप्रबन्धक (IT) BSNL UP(E)	BSNL	9415065657	[signature]
13	अमिताभ श्रीवास्तव	अनुभाग अधिकारी पंचायतीराज	पंचायती राज	9454411776	[signature]
14	प्रशान्त सिंह	राज्य परियोजना प्रबन्धक पंचायतीराज	पंचायतीराज	7318549130	[signature]
15	Rishirendra Kumar	Special Sec, IT	IT	—	[signature]
16	A.K. Mishra	Director R-1.	DoT	9415011900	
17					
18					
19					
20					
21					

उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैण्ड कमेटी (यू0पी0एस0बी0सी0) के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 17.07.2020 को अपरान्ह 01:00 बजे से लोक भवन, प्रथम तल स्थित उनके सभाकक्ष में आहूत बैठक में उपस्थित अधिकारीगणः—

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0 / ई—मेल आईडी	हस्ताक्षर
1	आलोक कुमार	ACS	IT		[signature]
2	सुधीर गर्ग	प्रमुख सचिव (वन)	वन		[signature]
3	Sanjay Kumar Mittal	Sr DDG UP (East)	DOT	9868131112	[signature]
4					
5	YATISH KATHERIA	DDG (Rural-2)	DOT	9135599901 8765200300	[signature]
6	ASHOK KUMAR RAWAT	SR. GM, BBNL UP East	BBNL	8765553555	[signature]
7	AZAM SIDDIQUI	Director (R-2)	DOT	9113464560	[signature]
8	ALOKE KUMAR SHRIVASTAV	GM (NOFN) BSNL U.P. (West) Meerut	BSNL	9415005771	[signature]
9	Akhilanand Brahmchari	Deputy Secretary	Urban Development	9454413390	[signature]
10	Sameer Verma	Secretary	PWD		[signature]